राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास

पीठासीन अधिकारी का नाम –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

1. शंकर लाल आयु 65 वर्ष पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी– ग्राम कानोता ढाणी लक्ष्मीपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. छाजू पुत्र श्री गंगाराम
2. बद्री पुत्र श्री गंगाराम
3. किशोर पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण
4. जगदीश पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण
5. भगवान सहाय पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण समस्त जाति माली निवासी छाजूवालो की ढाणी ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. रामनिवास पुत्र श्री प्रताब
7. मदन पुत्र श्री प्रताब समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी भ्यालो की ढाणी, ढण्ड के बालाजी के पास ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, रा. का. अधिनियम 1955

दिनांक 10.05.2018

मुकादमा नंबर 9/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट तूंगा में पेश हुई। प्रतिवादीगण उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा ने की है। प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण का कथन रहा कि उनके द्वारा वादी की भूमि में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नही की जा रही है। प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्तेसीमाज्ञान पेश किया। प्रतिवादीगण को वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सुना गया। प्रतिवादीगण ने यह भी अवगत करवाया कि सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार बस्सी को आवेदन किया हुआ है जिसमें सीमाज्ञान के आदेश किये जा चुके है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी लेने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णय अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1925, 1926, 1927, 1928, 1991, 2017, 2018, 2019, 2021, 2026 कुल किता 10 कुल रकबा 2.9800 हैक्टयेर स्थित ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करे । डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 10.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट तूंगा में मजमें आम में सुनाया गया।

10.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. शंकर लाल आयु 65 वर्ष पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी– ग्राम कानोता ढाणी लक्ष्मीपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. छाजू पुत्र श्री गंगाराम
2. बद्री पुत्र श्री गंगाराम
3. किशोर पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण
4. जगदीश पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण
5. भगवान सहाय पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण समस्त जाति माली निवासी छाजूवालो की ढाणी ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. रामनिवास पुत्र श्री प्रताब
7. मदन पुत्र श्री प्रताब समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी भ्यालो की ढाणी, ढण्ड के बालाजी के पास ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, रा. का. अधिनियम 1955

दिनांक 10.05.2018

मुकदमा नंबर 9/18

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1925, 1926, 1927, 1928, 1991, 2017, 2018, 2019, 2021, 2026 कुल किता 10 कुल रकबा 2.9800 हैक्टयेर स्थित ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करे ।

दस्तख्त........ 10.5.18

मोहर

ओहदा.......... सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर